फाइल नं0-71-3099/59/2020-03

65/2025/I/941569/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/04, दिनॉक 02.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष एवं पूॅजी लेखा पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर के वेतन आदि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार राजस्व पक्ष में रू0 11915.30 लाख तथा पूॅजीलेखा पक्ष में रू0 25.00 लाख अर्थात् कुल रू0 11940.30 लाख (रू0 एक अरब उन्नीस करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050344 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	01 वेतन	15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)
2	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	03 मंहगाई भत्ता	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
3	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	04 यात्रा व्यय	2,20,000 (रुपये दो लाख बीस हजार मात्र)
4	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
5	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		इन्स्टीट्यूट		
9	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,80,000 (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)
10	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
13	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
14	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
15	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	29 अनुरक्षण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
19	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	39 औषधि तथा रसायन	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
20	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
21	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	41 भोजन व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
22	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	42 अन्य व्यय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
23	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)
24	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
25	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
26	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
27	031	2210051050344	47	3,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	(रुपये तीन लाख मात्र)
28	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	49 चिकित्सा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
29	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
30	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	55 मकान किराया भत्ता	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
31	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
32	031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
	कुल			**1,01,03,45,000 (रुपये एक अरब एक करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050501 (जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	01 वेतन	7,20,00,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र)
2	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	03 महंगाई भत्ता	4,32,00,000 (रुपये चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	10 जलकर / जल प्रभार	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
8	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,30,000 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)
10	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
11	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
13	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
14	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी	18 प्रकाशन	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर		
15	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
16	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,35,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)
17	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	29 अनुरक्षण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
18	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	39 औषधि तथा रसायन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
19	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
20	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	41 भोजन व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
21	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	42 अन्य व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
22	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
23	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
24	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	45 अवकाश यात्रा व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
25	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,15,000 (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार मात्र)
26	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर		
27	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	51 वर्दी व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
28	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	55 मकान किराया भत्ता	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
29	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
30	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
	कुल			**18,11,85,000 (रुपये अठारह करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031054400 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट	25 लघु निर्माण कार्य	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031054600 (जे के इन्स्टीटयूट आफ रेडियो लाजी एवं कैंसर रिसर्च कानपुर में एडवांस एण्टी कैंसर नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	4210031054600 जे के इन्स्टीटयूट आफ रेडियो लाजी एवं कैंसर रिसर्च कानपुर में एडवांस एण्टी कैंसर नैदानिक एवं उपचार	25 लघु निर्माण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सुविधाओं का विकास	कार्य	
	कुल			**5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)**

महायोग	**1,19,40,30,000** **(रुपये एक अरब उन्नीस करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक** 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।